

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.5.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	बनारसी लाल साह पिता-स्व. जय नारायण साह ग्राम+पो०-खिलवत थाना-विदुपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	नेमी साह पिता-राम शरण साह ग्राम-जहानपुर पो०-ककढिया थाना-खैरा जिला-सारण	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
3	रीना देवी पति-दिलिप पासवान ग्राम+पो०-सुईथा थाना-परसा बाजार जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
4	मनोज महतो पिता-स्व० बिसो महतो ग्राम-स्टेशन रोड माली टोला पो०+थाना+जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
5	बैद्यनाथ पंजियार पिता-स्व. रामजी पंजियार ग्राम-गोला बान्द रोड पो०-प्रधान डाकघर थाना-नगर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।

21/5/16

6	अब्रेन राम पिता-शनिचर राम ग्राम+पो0-फतेहपुर थाना-नरपतगंज जिला-अररिया	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
7	सविता देवी पति-स्व. शशि बिन्द पुरुषोत्तम ग्राम-चौरीया पो0-सोसन्दी थाना-हरनौत जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
8	अब्दुल रहीम पिता-स्व0 नाखछेद मियां ग्राम-पो0-ख्वासपुर थाना-बसंतपुर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	कृष्णा सिंह यादव पिता-स्व. देव नन्दन सिंह यादव ग्राम-उरान टोला पो0-शिकारपुर थाना-शाहपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
10	सबीता देवी पति-श्री उपेन्द्र कुमार ग्राम-रामपुर नगमा पो0+थाना-पालीगंज जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
11	मुनी साव पिता-लखन साव ग्राम+पो0-नगवां थाना-फतेहपुर जिला-गया	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
12	उपेन्द्र प्रसाद मंडल पिता-स्व. मौजे लाल मंडल ग्राम-सनपतहा पो0-बनैनीया, थाना-किशनपुर जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
13	दुर्गा सिंह पिता-स्व. लालु सिंह ग्राम-शाहपुर पो0-मनोहरपुर कछुआरा थाना-गोपालपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,40,000/- (एक लाख चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,15,000/-

31/11/17
19/12/17

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,15,000/—(दस लाख पन्द्रह हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509393.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 16590200000041 खाता धारक का नाम—"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार— चालु , बैंक का नाम—इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509393.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/—

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

729(14)

पटना, दिनांक 19-05-16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
शा. हिन्द

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

आल इंडिया इंस्टीच्युट आ० मेडिकल साइंस,
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नगीना कुमार पिता-राजेन्द्र राय ग्राम+पो०-बलुआ थाना-मनेर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	कामेश्वर महतो पिता-हरनन्दन महतो ग्राम+पो०+थाना-सालीमपुर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	अशोक पासवान पिता-श्याम सुन्दर पासवान ग्राम-पो०-बरैल थाना+जिला-सुपौल	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	चांदनी कुमारी पति-हीरा लाल यादव ग्राम-चीरमारा पो०-घुसकौल थाना-केवटी जिला-दरभंगा	किडनी रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,40,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 2,40,000/- (दो लाख चालीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं०.....
509394..... मूल रूप में संलग्न है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

19/5/16

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 19.05.16

ज्ञापांक 728(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री संजय सरावगी, सदस्य बिहार विधान सभा, 83-दरभंगा पता-आ0 79/80 विधायक फ्लैट पटेल पथ पटना-80000 / सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
आ. वि. प्र. प्र.

सं० सं० 14/एम 11-1/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अनीता देवी पति-लाल बहादुर यादव ग्राम-योगीडीह पो०-सिरसी, थाना-खोदावन्दपुर जिला-बेगुसराय सी.आरनं०-47591/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	सिनेमा कुंवर पति-स्व. कामेश्वर भगत ग्राम+पो०-बड़गांव थाना-अजीमाबाद जिला-भोजपुर सी.आरनं०-37096/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	पंकज कुमार पिता-जय प्रकाश साह ग्राम-पो०-अबजुगंज थाना-सुल्तानगंज जिला-भागलपुर सी.आरनं०-34773/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	उषा देवी पति-नागेन्द्र सिंह ग्राम-सरबदही पो०-गड़ीहारा, थाना-मसौढ़ी जिला-पटना सी.आरनं०-58697/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	मो० युसुफ पिता-स्व. नन्हकु मियां ग्राम-मानपुर पेहानी पो०+थाना-बुनियादगंज जिला-गया सी.आरनं०-34528/16	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।

20/11/16
14/11/16

6	हुस्ना बोनो पति-सुलेमान अंसारी ग्राम+पो0-सदीशोपुर थाना-बीहटा जिल-पटना सी.आरनं0-35559 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
7	दीना देवी पति-राजेन्द्र बिन्द ग्राम-कोठीया पो0+थाना-महीषी जिल-सहरसा सीआरनं0 160101 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
8	ललीता देवी पति-अमेरिका पंडित ग्राम-मुबारकपुर पो0-चैनपुर, थाना-सीसवन जिला-सीवान सी.आरनं0-61003 / 14	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /--(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	बिहारी पासवान पिता-स्व. अवध पासवान ग्राम+पो0-भटचौरा थाना-बाबु बरही जिला-मधुबनी सी.आरनं0-47518 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
10	मिन्दु देवी पति-राज किशोर राय ग्राम+पो0-पाना छपरा थाना-मोतीपुर जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-28282 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
11	तेतरी कुंवर पति-स्व. कशी गोसाई ग्राम-सुअरा पो0-पहलेजा, थाना-डेहरी जिला-रोहतास सी.आरनं0-53375 / 16	हृदय रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
12	सुनीता देवी पति-सुबोध यादव ग्राम-मनोहरपुर नवटोलीया पो0-शहजादपुर थाना-नाथनगर, जिला-भागलपुर सी.आरनं0-42185 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/17
19/12/17

13	गिरजा देवी पति-नागेन्द्र पासवान ग्राम-हुसैनपुर पो0-मंसुरपुर थाना-जिला-वैशाली सी.आरनं0-38482 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	सुरेन्द्र विश्वकर्मा पिता-हरि प्रसाद विश्वकर्मा ग्राम-बेलदारीचक पो0-मुडीका, थाना-सिगोडी जिला-पटना सीआरनं0-47803 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
15	मो0 अशरफ पिता-मो0 अतिकुल ग्राम-पो0-पोखरैरा थाना+जिला-समस्तीपुर सी.आरनं0-20101 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	सन्नी कुमार पिता-सोहन सहनी ग्राम-टरीया पो0+थाना-कुढनी जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-20298 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	उमा देवी पति-दुर्गा प्रसाद सिंह ग्राम-पो0-बथुआ बुजुर्ग थाना-मुसरी घरारी जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-55267 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	सावित्री देवी पति-शिवनाथ प्रसाद ग्राम-गोलाबांध नाजीरपुर पो0-प्रधान डाकघर थाना-नगर जिला-मुजफ्फरपुर सीआरनं0-36119 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
19	सुखदेव साव पिता-स्व0 बंशी साव ग्राम+पो0-गुरपा थाना-फतेहपुर जिला-गया सी.आरनं0-59432 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

20/11/12
19/11/12

20	लोरेन्स किस्कु पिता-राम किस्कु ग्राम-बरमसीया पो0-बामदह, थाना-चन्द्रमंदी जिला-जमुई सी.आरनं0-58741 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
21	राजेन्द्र राय पिता-विश्वनाथ राय ग्राम+पो0+थाना-अगीयांव जिला-भोजपुर सी.आरनं0-120749 / 14	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
22	तारकेश्वर साह पिता-स्व. मोती लाल साह ग्राम-भटौरा पो0-गवन्द्री, थाना-तरैया जिला-सारण सी.आरनं0-32041 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
23	नुनुवती देवी पति-बाल्मीकी ठाकुर ग्राम-समाय पो0-खलसा ढीबरी थाना-मुफसिल, जिला-नवादा सी.आरनं0-95411 / 13	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
24	भोला पासवान पिता-स्व. नेउर पासवान ग्राम+पो0-बड़का गांव थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-58232 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
25	सरिता देवी पति-बासुदेव प्रसाद ग्राम-डा0 कालोनी पो0-थाना-मोकामा जिला-पटना सी.आरनं0-56634 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
26	गजेन्द्र भगत पिता-परमेश्वर भगत ग्राम-धर्मपुरा पो0-जय गोविन्द नगर मखरा थाना-जम्होर, जिला-औरंगाबाद सी.आरनं0-57183 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
27	बैद्यनाथ राउत पिता-किशोरी राउत ग्राम+पो0-कोयरीया पीपरा थाना-परिहार जिला-सीतामढी पंजी / ओ.पीडी / 13114	हृदय रोग	₹ 85,000 / -(पचासी हजार) स्वीकृत।

31/11/14
व.स.स.

28	मंदु कुमार पिता-बासजीत राय ग्राम-पो0-महीनावा थाना-मनेर जिला-पटना सी.आरनं0-23399 / 16	किडनी रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
29	रामनाथ सिंह पिता-स्व. कविलास सिंह ग्राम-पो0-दीपनडीह थाना-तरारी जिला-भोजपुर सी.आरनं0-55930 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
30	शकुन्ती देवी पति-कुलद्वीप चौधरी ग्राम-अरंगा पो0-करियादपुर थाना-फतेहपुर जिला-गया सी.आरनं0-2397 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
31	मनोरमा देवी पति-जितेन्द्र चौधरी ग्राम-तुरकवलीया पो0-राजनडीह थाना-राजपुर जिला-रोहतास सी.आरनं0-18779 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
32	रामपरी देवी पति-स्व0 जगधर यादव ग्राम+पो0+थाना-डंडारी जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-58836 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 21,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 21,00,000/- (इक्कीस लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509392 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **503 2011 9556** खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **इलाहाबाद बैंक**, शाखा का नाम - **पटना**, RTGS/IFSC कोड सं0 **ALLA0212284** में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

20/11/12
19/5/14

- 4 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 5 आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509392 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 723(14)

पटना, दिनांक 19.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री शिव चन्द्र राम, मा० मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार विकास भवन नया सचिवालय बेली रोड, पटना 800015 /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान,
पटना 800004

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 11.5.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रामाशंकर प्रसाद पिता-स्व० सौदागर साव ग्राम-पंचवटी नगर पो०+थाना-दानापुर जिला- पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 1,25,000 (एक लाख पच्चीस हजार) का क्रास चेक सं०.....~~529299~~
-मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 724(14)

पटना, दिनांक 19.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / संबंधित मरीजों को / श्री आलोक कुमार मेहता, मा० मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, पता-कमरा नं०-258 विकास भवन, नया सचिवालय, पटना 800015 / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/16

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.5.16